



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का संस्थान- “मिनी-रत्न” कम्पनी)

क्षेत्रीय कार्यालय- लखनऊ

लक्ष्म प्लाज़ा,आईएनएस-19,सेक्टर 7-सी,
वृन्दावन योजना,अमर शहीद पथ,लखनऊ
दूरभाष-0522-7118213,3516971

NATIONALSEEDS CORPORATION LTD.

(GOVT. OF INDIA UNDERTAKING-“MINI RATNA COMPANY”)

REGIONAL OFFICE: LUCKNOW

LAKSHI PLAZA,INS-19, SEC-7 C, VRINDAVAN YOJNA
AMAR SAHEED PATH LUCKNOW-226029

GST-09AABCN8973F1Z2

CIN:U74899DL1963GOI003913

e-Mail: nsclucknow.engg@yahoo.com

rm.lucknow@indiaseeds.com

पत्रांक-IV / अभि0(3-कंडमनेशन) / रा0बी0नि0-लख0 / 2026-27

दिनांक-19.05.2026

निविदा सूचना(निलामी)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय बीज निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के अंतर्गत उपइकाई कानपुर, वाराणसी, आगरा, सफेदाबाद एवं हेमपुर में उपलब्ध अनुपयुक्त विधायन मशीनरी एवं अन्य स्क्रेप आइटमकी निलामी“जहाँ है जैसा है के आधार” पर जेम-पोर्टल के माध्यम से की जायेगी, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार से है-

जेम पोर्टल से निविदाप्राप्त करने की अंतिम तिथि	दिनांक -10 / 06 / 2026 को प्रातः 12:30 बजे
धरोहर राशि	रुपये 20,000 /- (किसी एक स्थान के लिये भी निविदा में प्रतिभाग करने के लिये संपूर्ण धरोहर राशि रु. 20,000 /- जमा करना होगा।
अनुपयुक्त आइटमों का स्थान	एन.एस.सी. कानपुर, वाराणसी, आगरा, सफेदाबाद एवं हेमपुर
निविदादाता तकनीकी योग्यता सारिणी अनुसार दस्तावेज आवश्यक रूप से संलग्न करना सुनिश्चित करें अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी। निविदा को किसी भी स्तर पर रद्द करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा।	

अधिक जानकारी के लिये जेम पोर्टल पर अपलोड निविदा दस्तावेज देखने का श्रम करें।

क्षेत्रीय प्रबंधक
राष्ट्रीय बीज निगम
क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ

निविदा के लिये नियम व शर्तें

1. निविदादाता को निविदा में भाग लेने के लियेरुपये 20,000/—(पचास हजार रुपये) NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED निगम के अकाउंट में RTGS/NEFT के माध्यम से खाता सं0— 32945078374, IFSC- SBIN0003222 में जमा करवा सकते हैं।
2. सफल उच्चतम निविदादाता को निविदा मूल्य संपूर्ण राशि का भुगतान स्वीकृति पत्र जारी करने के तिथि के 15 दिन के अंदर जी.एस.टी, इनकम टैक्स सहित जमा कराना होगा अन्यथा किसी भी स्थिति में देरी होने पर कुल राशि का 18 प्रतिशत अलग से देय होगा तथा 60 दिवस से अधिक देरी होने की स्थिति में धरोहर राशि तथा अग्रिम भुगतान को जब्त करते हुये निविदा रद्द करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा।
3. निविदादाता फर्म होने की स्थिति में— जी.एस.टी रजिस्ट्रेशन, पैन कार्ड, नवीनतम इनकम टैक्स रिटर्न की स्वयं प्रमाणित प्रतिलिपि निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न करना होगा।
4. निविदादाता व्यक्तिगत होने की स्थिति में— आधार कार्ड, पैन कार्ड, नवीनतम इनकम टैक्स रिटर्न की स्वयं प्रमाणित प्रतिलिपि निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न करना होगा।
5. आइटम/मशीनरी को निस्तारण “जहाँ है जैसा है” के रूप में किया जायेगा। निगम को आइटम/मशीनरी घटाने-बढ़ाने अथवा निस्तारण न करने का पूर्ण अधिकार होगा। आइटम/मशीनरी को स्वयं के व्यय पर उठाना होगा।
6. मशीनरी/आइटम को निकालते समय गोदाम/भवन को कोई क्षति न पहुँचे इसकी जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। यदि कोई क्षति पहुँचती है, तो उसका मरम्मत करवाना होगा।
7. आइटम/मशीनरी का निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस में वर्तमान स्थिति/उपलब्धता स्थान पर निरीक्षण किया जा सकता है। निविदादाता को यह जिम्मेदारी होगी कि वह निविदा देने से पूर्व आइटम/मशीनरी का भली-भाँति निरीक्षण कर लें। बिक्री के बाद कोई शिकायत मान्य नहीं होगी।
8. निविदाओं पर अंतिम निर्णयोपरांत आइटम/मशीनरी की जिम्मेदारी स्वयं क्रेता की होगी, निगम इसके लिये उत्तरदायी नहीं होगा।
9. सभी कर जैसे वस्तु सेवा कर(जी.एस.टी) एवं टी.सी.एस अथवा खरीददार द्वारा खरीदे गये सामान के गंतव्य स्थान तक ले जाने में अन्य कोई भी देय कर खरीददार को वहन करना होगा।
10. निगम को किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताये स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा। इस विषय में निगम का निर्णय अंतिम होगा व सभी निविदादाताओं को मानने के लिए कानूनी बाध्यता होगी।
11. निस्तारण किया गया आइटम किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय के दौरान दिया जायेगा। यदि निविदादाता निस्तारण किये गये सामान को अपने किसी प्रतिनिधि द्वारा उठवाता है, तो उसके पास सामान को प्राप्त करने का अथॉरिटी लेटर होना चाहिये,
12. यदि निविदादाता द्वारा नियम व शर्तों का उल्लंघन किया जाता है, तो निगम उसके द्वारा जमा की गई जमानत राशि व अन्य भुगतान जब्त करने को स्वतंत्र होगा।
13. यदि निविदादाता निगम के किसी कर्मचारी/अधिकारी से अनुचित लाभ लेने हेतु कोई सिफारिश करता हुआ पाया जाता है, चाहे कारण जो भी हो, तो उसे निविदा में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया जायेगा व उसके द्वारा जमा कराई गई जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
14. यदि यह संदेह होता है कि निविदायें रिंग बनाकर अथवा किसी पूर्वनियोजित उद्देश्य से डाली गयी है और आइटम/मशीनरी की कीमत ठीक नहीं लग रही है, तो निगम को यह अधिकार होगा कि वह निविदा निरस्त कर दे और बिक्री को स्थगित कर दे।



Registration by the Joint Accreditation System of
India and New Zealand, Acc No. S 141009HMA

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का संस्थान- “मिनी-रत्न” कम्पनी)

क्षेत्रीय कार्यालय- लखनऊ

लक्ष्म प्लाज़ा,आईएनएस-19,सेक्टर 7-सी,

वृन्दावन योजना,अमर शहीद पथ,लखनऊ

दूरभाष-0522-7118213,3516971

NATIONALSEEDS CORPORATION LTD.

(GOVT. OF INDIA UNDERTAKING-“MINI RATNA COMPANY”)

REGIONAL OFFICE: LUCKNOW

LAKSHI PLAZA,INS-19, SEC-7 C, VRINDAVAN YOJNA

AMAR SAHEED PATH LUCKNOW-226029

GST-09AABCN8973F1Z2

CIN:U74899DL1963GOI003913

e-Mail: : nsclucknow.engg@yahoo.com

rm.lucknow@indiaseeds.com

पत्रांक-IV / अभि0(3-कंडमनेशन) / रा0बी0नि0-लख0 / 2024-25,

तकनीकी निविदा

क्र.सं	निविदादाता का नाम	
1	पता	
2	संपर्क सूत्र	
3	ई-मेल	
4	बैंक खाता विवरण (आई.एफ.एस.सी. कोड सहित)	
5	जी.एस.टी. सं0	
6	पैन कार्ड सं0	
7	आधार कार्ड सं0	
8	नवीनतम इनकम टैक्स रिटर्न की स्वयं प्रमाणित प्रतिलिपि	
9	निविदा नियम व शर्तों की स्वहस्ताक्षरित प्रति (फर्म के मुहर सहित)	

नोट—

1. निविदा में दी गयी दर पर जी.एस.टी, टी.सी.एस, इनकम टैक्स आदि निविदादाता को अलग से देना होगा।
2. सफल उच्चतम निविदादाता को संपूर्ण राशि का भुगतान स्वीकृति पत्र जारी करने के तिथि के 15 दिन के अंदर जी.एस.टी, इनकम टैक्स सहित जमा कराना होगा अन्यथा किसी भी स्थिति में देरी होने पर कुल राशि का 18 प्रतिशत अलग से देय होगा तथा 60 दिवस से अधिक देरी होने की स्थिति में धरोहर राशि तथा अग्रिम भुगतान को जब्त करते हुये निविदा रद्द करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा।

निविदादाता का हस्ताक्षर व मुहर

